

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०-स्था०1/आ०2-20/2017

190

/पटना, दिनांक:- 05/07/23

कार्यालय आदेश

श्री नवीन किशोर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक-सह-सहायक प्रबंधक, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4085 दिनांक-18.08.2017 के साथ संलग्न प्रमुख प्रशासन, निगम मुख्यालय, पटना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि० के पत्रांक-6675 दिनांक-11.07.2017 के साथ संलग्न आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०-87 सहपठित ज्ञापांक-513 दिनांक-23.02.2018 द्वारा श्री नवीन किशोर पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), सीतामढ़ी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री नवीन किशोर के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में रून्नीसैदपुर गोदाम में संधारित होने वाले मूल पंजियों एवं कागजातों के साथ फरार होने, रून्नीसैदपुर गोदाम के जुलाई, 2016 से सितंबर, 2016 तक का संबंधित पंजियों की परफोरेटेड प्रति एवं एस०आई०ओ० की सेवित प्रति जमा नहीं कर क्षति/गबन की राशि को छुपाने का प्रयास करने, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिये गये अतिरिक्त आवंटन के द्वारा जाली भंडार निर्गमादेश के माध्यम से 624.82 क्विंटल गेहूँ एवं 937.23 क्विंटल चावल माह जून, 2016 में ही पूर्व के माहों यथा-अक्टूबर, 2015 एवं नवंबर, 2015 के लिए खाद्यान्न गलत ढंग से निर्गत दर्शाकर हेरा-फेरी करने एवं 4 जी० आईडेन्टीटी कं० के जिला आई०टी मैनेजर श्री गौरव कुमार एवं निगम पदाधिकारी से मिलीभगत कर भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा एवं आर्थिक क्षति पहुँचाने का प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित होने संबंधी आरोप गठित किये गये हैं।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), सीतामढ़ी के पत्रांक-163/वि०जाँ०, दिनांक-26.06.2020 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :-

“ आरोप प्रपत्र 'क', आरोपी का स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य देखने, संचिका पर उपलब्ध विभागीय कार्यवाही से संबंधित कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी श्री नवीन किशोर, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रून्नीसैदपुर-सह-सहायक प्रबंधक के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं । ”

4. संचालन प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत श्री नवीन किशोर से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री नवीन किशोर ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :-

(i) बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार के मुख्यालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय जाँच समिति द्वारा सीतामढ़ी जिलांतर्गत दो गोदामों यथा रून्नीसैदपुर गोदाम और सोनबरसा गोदाम में जाँच किया गया।